न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
6 / 2023	13.2.2023	29.8.25

श्रीलाल पुत्र पून्या, माली निवासी धोरडी तहसील करौली ——प्रार्थी

बनाम

1. मंदिर श्री सीताराम जी महाराज विराजमान जयपुर जरिए पुजारी वादमित्र कान्ती कुमार शर्मा पुत्र सालिगराम जाति ब्राह्मण निवासी सीताराम जी मंदिर, घाटगेट, जयपुर
2. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वाजदायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त उनवानी मुकदमा दिनांक 14.7.2021 को बहस फाईनल में नियत था लेकिन उस दिन प्रार्थी व उसके वकील अदालत हाजा में उपस्थित नहीं आ सके जिस पर दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया। प्रार्थी जानबूझकर गैरहाजिर नहीं हुआ था, वास्तविकता इस प्रकार से हे कि प्रार्थी को उसके वकील ने कह रखा था कि अभी कोविड का समय चल रहा है। जैसे ही कोविड खत्म होगा मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। दिनांक 23.1.2023 को प्रार्थी अपने वकील के पास आया तथा उनसे मुकदमे के बारे में जानकारी की तो उन्होने बताया कि तुम्हारा मुकदमा अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 14.7.2021 को खारिज हो चुका है। मुकदमे में विवादित सम्पत्ति में प्रार्थी का हित नीहित है। इसलिए मुकदमे को पुनः नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है। अतः वाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावे को पुनः नम्बर पर लिए जाने के आदेश प्रदान करें। वाजदायरी प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं आया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 को वाजदायरी प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत करने हेतु बार बार अवसर दिए गए परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:18:42
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वाजदायरी प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप वाजदायरी प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वाजदायरी प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी का जो दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है उसमें वर्णित सम्पत्ति में प्रार्थी का हित नीहित है एवं दावा फाइनल बहस की स्टेज पर था परन्तु दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने से प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे हैं। वाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जानबूझकर देरी से प्रस्तुत नहीं किया है एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए वाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए प्रार्थी का वाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल दावा पुनः नम्बर पर लिया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी ने जानबूझकर अपने मुकदमे में पैरवी नहीं की है तथा वाजदायरी प्रार्थना पत्र भी देरी से प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रार्थी का वाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी के कथनानुसार उसका वाद में वर्णित सम्पत्ति में हित नीहित होना पाया जाता है। न्यायहित में प्रार्थी का वाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर प्रार्थी का वाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मूल वाद उनवानी श्रीलाल बनाम मंदिर श्री सीतारामजी को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लेने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.8.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:18:42 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)